

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2018

जयपुर, दिनांक : 04.10.2018

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27.09.2018 के द्वारा डा. शुभम अरोडा, चिकित्सा अधिकारी (दन्त) का पदस्थापन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मालपुरा, टोंक में कनिष्ठ विशेषज्ञ (दन्त) के पद पर किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए डा. अरोडा का पदस्थापन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मालपुरा, टोंक में चिकित्सा अधिकारी के पद विरुद्ध तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(पारस चन्द जैन)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. राज्यमंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 3- निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
- 4- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन अजमेर
- 5- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
- 6- संबंधित अधिकारी
- 7- कम्प्यूटर सेल
- 8- निजी /रक्षित पत्रावली

  
(ओ. पी. वर्मा)  
शासन सहायक सचिव